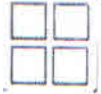




कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, जबलपुर म.प्र.

ब्लॉक- 15, सिविक सेंटर, मढ़ाताल, जबलपुर (म.प्र.)



Email-Id Jabalpur@mptownplan.gov.in

Phone No. 0761-2401981

क्रमांक-393/नगानि/19/JBLLP5067

दिनांक 15/02/2019

प्रति,

आशियाना बिल्डर्स

(भू-स्वामी श्री मनीष जायसवाल, श्री अनीश शाह, श्री सुदीप अग्रवाल)

डैवलपर्स- उद्यम रियल्टी एल.एल.पी.

द्वारा श्री रोहन गुगलिया, श्री अरविंद गुगलिया, श्री मयंक गुगलिया
जबलपुर म0प्र0

विषय:-

मौजा/ग्राम कजरवारा तहसील-जबलपुर, जिला-जबलपुर के प.ह.नं. 10 खसरा क्रमांक 43/1, 43/3, 43/5 कुल रकबा- 7.202 हैक्टेयर भूमि में से 0.824 हैक्टेयर पर बहुईकाई आवासीय प्रकोष्ठ भवन हेतु अनुज्ञा बावत।

संदर्भ:-

आपका ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 16.11.2018

-00-

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि, आपके द्वारा प्रस्तुत संदर्भित आवेदन पत्र के साथ संलग्न भूमि स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर मौजा/ग्राम कजरवारा तहसील-जबलपुर, जिला-जबलपुर के प.ह.नं. 10 खसरा क्रमांक 43/1, 43/3, 43/5 कुल रकबा- 7.202 हैक्टेयर भूमि में से 0.824 हैक्टेयर पर बहुईकाई आवासीय प्रकोष्ठ भवन हेतु म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम-1973 की धारा 29(1) के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर बहुईकाई आवासीय प्रकोष्ठ भवन हेतु अभिन्यास मानचित्र पर विकास अनुज्ञा चाही गई है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक JBLLU10202 दिनांक 03-06-2017 के द्वारा वर्तमान आवासीय एवं प्रस्तावित आवासीय भूमि उपयोग प्रमाण पत्र प्रदान कर प्रकरण में संलग्न किया गया है।

विषयांकित भूमि का स्थल निरीक्षण आवेदक के वास्तुविद श्री वैभव सिंघई की उपस्थिति में वास्तुविद द्वारा बताये गये स्थल का श्री आर.बी. पटेल, उपयंत्री के द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 13.11.2018 को किया जाकर प्रतिवेदित किया गया। प्रश्नाधीन भूमि रिक्त भूमि है तथा प्रश्नाधीन स्थल के उत्तर दिशा की ओर लगभग 24 मीटर चौड़ा मार्ग जिससे आवेदक के द्वारा पहुंच मार्ग लिया गया है, एवं दक्षिण दिशा की ओर रिक्त भूखण्ड है। पूर्व एवं पश्चिम दिशा में कुछ मकान निर्मित है।

उपरोक्त तथ्यों एवं प्रतिवेदन के आधार पर आपके द्वारा प्रस्तुत स्वामित्व दस्तावेजों एवं शपथ पत्र दिनांक 11.10.2018 नगर पालिक निगम जबलपुर द्वारा प्रदत्त कालोनी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक 289 दिनांक 10.09.2018 तथा प्रकरण में संलग्न न्यायालय तहसीलदार केण्ट का स्थल पंचनामा सीमांकन प्रतिवेदन आदेश प्रकरण क्रमांक 34/ब-121/18-19 जिसमें मैप फील्ड रिपोर्ट संलग्न कर प्रदाय किया गया है तथा अनुविभागीय अधिकारी गोरखपुर, जिला-जबलपुर के पत्र क्रमांक 17 दिनांक 22.10.2018 के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं जबलपुर विकास प्राधिकरण जबलपुर के पत्र क्रमांक

Signature valid

Digitally signed by NEERAJ ANAN LIKHAR

Date: 2019.03.07 15:45:39 IST

1064 दिनांक 12.10.2018 एवं कार्यपालन अभियंता म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. जबलपुर संभाग के पत्र क्रमांक 254 दिनांक 29.10.2018 के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय किया गया है।

आवेदित प्रकरण में आवेदक के द्वारा उनकी कुल भूमि 7.202 हेक्टेयर भूमि में से 0.824 हेक्टेयर पर बहुईकाई आवासीय प्रकोष्ठ भवन हेतु डेवलपर्स उदयम रियल्टी एल.एल.पी. को 6-डी अनुबंध के आधार पर विकास कार्य करने हेतु पंजीकृत अनुबंध निष्पादित कर प्रस्तुत किया गया है, जिसमें खसरा क्र. 36/1/क, 36/2 में से 24 मीटर चौड़े मुख्यमार्ग से 18 मीटर चौड़ाई का आंतरिक पहुंच मार्ग समन्वय की दृष्टि से प्रस्तावित किया गया है जिसका विवरण निष्पादित पंजीकृत अनुबंध अनुसार आवेदक की भूमि व अनुबंधित भूमि से लगकर प्रस्तावित है। मध्यप्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्र- 3/155/2013/32 भोपाल दिनांक 29 जून 2013 अनुसार नगर नियोजन के मूल सिद्धांतों के अंतर्गत मार्गों का आपसी समन्वय स्थापित किये जाने की परिलक्षिता के मद्देनजर मार्गों को प्रस्तावित करने संबंधी दिशा निर्देश दिये गये हैं। आवेदक द्वारा उक्त क्षेत्रफल पर आवासीय घनत्वता के अनुसार व यातायात दबाव को अनुमानित होने से सुगम आवागमन की दृष्टि से आंतरिक मार्ग प्रस्तावित किया गया है। उक्त मार्ग का क्रियान्वयन आवेदक एवं अनुबंधकारी दोनों को ही करना होगा यह मार्ग नियोजन की दृष्टि से सीधे भूमि के पृष्ठ भाग पर स्थित ग्रामीण मार्ग पर जोड़ना आवश्यक होगा। जिससे कि उक्त क्षेत्र का यातायात परिभ्रमण संरचना निर्मित हो सके।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवासीय भू-उपयोग परिक्षेत्र में बहुईकाई आवासीय प्रकोष्ठ भवन हेतु विकास अनुज्ञा हेतु संलग्न अभिन्यास मानचित्र को म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम-1973 की धारा 30(1)(ख) के निर्दिष्ट प्रावधानों एवं म0प्र0 भूमि विकास नियम-2012 के नियम-2(5)(क) एवं नियम-27 के अधीन अनुमोदित कर वर्णित शर्तों के साथ दी जाकर म0प्र0 नगर पालिका अधिनियम-1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) और उसके अधीन बनाये गये म0प्र0 नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्तों) नियम-1998 संशोधित नियम-19 अप्रैल 2012 के समस्त प्रावधानों एवं शर्तों का पालन सुनिश्चित किये जाने हेतु सक्षम अनुमति प्राप्त किये जाने हेतु अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ प्रेषित है।

1. निम्नलिखित अधिनियम/नियम/सक्षम प्राधिकारी तथा संस्था से विकास निर्माण अनुज्ञा से पूर्व अनापत्ति/अनुज्ञा लेना अनिवार्य होगा-

अ. म0प्र0 भू-राजस्व संहिता-1959 की धारा-172

ब. म0प्र0 नगर पालिका अधिनियम-1956 (क्रं.-23 सन्-1956)

स. नजूल विभाग जबलपुर

द. अन्य किसी अधिनियमों/नियमों के अंतर्गत कोई अनापत्ति/अनुज्ञा प्राप्त करना आवश्यक हो, तो उसे आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे। यदि किसी अधिनियम/नियमों के अंतर्गत कोई अन्य विभाग से अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक हो, तो उसे प्राप्त करने का दायित्व आवेदक का होगा। संबंधित किसी विभाग को आपत्ति होने पर इस कार्यालय को वैधानिक साक्ष्यों सहित 15 दिवस में अवगत कराया जाना आवश्यक होगा। निर्धारित समयवाधि पूर्ण होने पर यह माना जावेगा कि किसी विभाग को उक्त अनुमोदन से कोई आपत्ति नहीं है।

2. विषयांकित भूमि के सामने मुख्य मार्ग 18 मीटर है उक्त मार्ग के मध्य से 9.00 मीटर भूमि मार्ग हेतु सुरक्षित रखी जाना आवश्यक होगा, तथा मार्ग विस्तार हेतु छोड़ी गई भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण मान्य नहीं होगा, संलग्न मानचित्र में दर्शाया गये मार्गाधिकार अंतर्गत भूमि का निर्धारण अधिग्रहीत किये जाने वाली संस्था द्वारा ही अतिरिक्त फर्शी क्षेत्र अनुपात का नियम अनुसार निर्धारण कर प्रदाय किया जायेगा।

Signature valid

Digitally signed by NEERAJ ANAN LIKHAR

Date: 2019.03.07 15:45:39 IST

3. अनुज्ञा की शर्त क्रमांक-02 अनुसार मार्ग मध्य से 18 मीटर तथा के मध्य से 9.00 मीटर भूमि को सागरे हेतु सुरक्षित रखने के पश्चात् संलग्न स्थल मानचित्र में दर्शाये अनुसार भूमि के अंतर्गत चारों ओर सीमांत खुले क्षेत्र छोड़ना आवश्यक होगा। उक्त सीमांत खुले क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण अनुज्ञेय नहीं है। इसका पालन आवेदक द्वारा आवश्यक रूप से किया जाये यह सुनिश्चित भवन अधिकारी द्वारा किया जाना होगा।
4. म0प्र0 नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्त) नियम-1998 के नियम-3 के तहत नगर पालिका निगम, जबलपुर द्वारा प्रदत्त कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र क्रमांक 289 दिनांक 10.09.2018 सहित अन्य संबंधित सभी नियमों का पालन सुनिश्चित करने के पश्चात् ही सक्षम प्राधिकारी, आयुक्त, नगर पालिक निगम, जबलपुर द्वारा अनुमोदित अभिन्यास मानचित्र अनुसार विकास कार्य की अनुमति प्रदत्त की जावेगी।
5. यदि विद्युत लाईन प्रस्तावित हो मानचित्र में अंकन अनुसार एवं म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 52 के अनुसार स्थल पर स्थित विद्युत लाईन अथवा प्रस्तावित विद्युत लाईन के नीचे नियमानुसार भूमि खुले रूप में रखनी होगी। प्रभावित भूखण्ड पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा तब तक भवन अनुमति जारी न की जाये जब तक आवेदक द्वारा उक्त विद्युत लाईन अन्यत्र स्थान पर स्थानांतरित न कर दी जाये।
6. प्रश्नाधीन भूमि नगर निगम जबलपुर सीमा क्षेत्र के अंतर्गत है तथा नगर निगम क्षेत्रांतर्गत कालोनी विकास हेतु म0प्र0 नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्त नियम-1998) प्रभावशील है। उक्त नियमों के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी आयुक्त नगर पालिक निगम है। प्रकरण में म0प्र नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्त नियम-1998) के अंतर्गत विकास अनुमति देने के पूर्व समस्त नियमों का पालन कराते हुये विकास अनुमति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। आवेदक द्वारा उक्त नियमों में दिनांक 19.04.2012 के नियम-10 के प्रावधान अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्गों एवं निम्न आय वर्गों के संबंध में संलग्न मानचित्र में उपदर्शित किया गया है इसकी गणना का परीक्षण स्वयं के स्तर से मान्य करने का दायित्व सक्षम प्राधिकारी का है। यदि प्रावधान में कोई कमी हो तो उसको समायोजित करने के पश्चात् ही विकास अनुज्ञा जारी की जावे। तथा इस हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई समायोजन हो तो विकास अनुज्ञा के पूर्व कार्यालय को अवगत कराया जावे।
7. आवेदित भूमि में से लगकर 18.00 मीटर मार्ग प्रस्तावित है जो कि आवेदित भूमि का पहुँच मार्ग है। स्थल के सीमांकन के समय मार्ग की प्रस्तावित स्थिति के अनुसार यदि मार्ग समन्वय में फेर बदल होता है तो वह आवेदक को मान्य करना होगा तथा मानचित्र में दर्शित समस्त आंतरिक मार्गों एवं बाह्य मार्गों को यथा स्थिति निर्धारित चौड़ाई/लम्बाई का विकास करना होगा मार्गों की भूमि पर किसी भी प्रकार का किसी के भी द्वारा निर्माण या अवरोध किया जाना प्रतिबंधित होगा। तथा बंद मार्गों पर कल-डी-सेक का प्रावधान म0प्र0 भूमि विकास नियम-2012 के अनुसार आवेदक को स्वयं के व्यय से करना होगा तथा कल-डी-सेक से प्रभावित भूखण्ड का विक्रय तदनुसार किया जा सकेगा।
8. आवेदकों समस्त विभागों से अनुमतियां प्राप्त करने के पश्चात् मध्य प्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 22.10.2016 में प्रकाशित अनुसार रियल एस्टेट (रेग्यूलेशन एण्ड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) नियम 2016 के प्रावधानों के अन्तर्गत स्थल पर विकास/निर्माण करने के पूर्व परियोजना का विनियामक प्राधिकरण से पंजीयन कराना आवश्यक होगा।
9. म0प्र0 भूमि विकास नियम-2012 के नियम-100 एवं 101 का पालन सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदक से पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा। म0प्र0 शासन के आदेशानुसार एवं म0प्र0 भूमि विकास नियम-2012 के नियम-67 के अनुसार परिसर में प्रस्तावित खुले क्षेत्र व उपयुक्त स्थानों पर पर्याप्त वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।

Signature valid

Digitally signed by NEERAJ ANAN LIKHAR

Date: 2019.03.07 15:45:39 IST

10. विकास योजना के निर्दिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत अभिन्यास क्षेत्र में उपदर्शित भूखण्डों का सक्षम प्राधिकारी द्वारा भवन अनुमति हेतु स्वीकार्य फर्शी क्षेत्रानुपात, भवन की उंचाई स्वीकार्य, आवृत्त क्षेत्र आदि की गणना व मापदण्ड जबलपुर विकास योजना-2021 के अध्याय-4 में निर्दिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत मान्य किये जा सकेंगे।
11. अभिन्यास मानचित्र में निर्धारित प्रयोजन आवेदक स्वयं के प्रेरणा से परिवर्तित नहीं कर सकता तथा भूखण्डों का संविलियन अथवा विभाजन बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से स्वयं के प्रेरणा से नहीं कर सकता ऐसा किया गया कृत्य नियम विरुद्ध माना जाकर अभिन्यास मानचित्र को प्रभावशून्य कर दिया जायेगा।
12. म0प्र0 भूमि विकास नियम-2012 के नियम-81(4) के प्रावधानों के अनुसार शहरी जल संवर्धन प्रणाली हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया अनुमोदित मानचित्र अनुसार स्थानीय संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा। उसके पश्चात् ही जल एवं विद्युत कनेक्शन संबंधित संस्था के द्वारा दिया जा सकेगा।
13. प्रस्तावित विकास के आसपास लगी भूमि की कालोनियों पर निर्मित अनुमोदित मार्गों के भूखण्डों एवं खुले तथा अन्य क्षेत्रों का समायोजन किया जावेगा तथा उक्त अनुमोदित मार्गों को किसी भी प्रकार से अवरुद्ध किया जाना मान्य नहीं होगा। अतः अनुमोदित मार्गों को गेट अथवा बाउन्ड्रीवाल से अवरुद्ध/बाधित किया जाना मान्य नहीं होगा। यदि आवेदक संस्था द्वारा ऐसा कृत्य किया जाता है, तो स्थानीय संस्था एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा बाधित किये गये मार्ग पर मुक्त किये जाने संबंधित वैद्यनिक कार्यवाही कर सकेंगे।
14. म0प्र0 भूमि विकास नियम-2012 के नियम-93 के प्रावधान अनुसार प्रस्तावित प्रयोजन से उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर्यावरण की दृष्टि से स्थानीय संस्था के मार्गदर्शन में स्थान सुरक्षित करना होगा, जिसका प्रबंधन कालोनाईजर संस्था द्वारा स्वयं को करना होगा।
15. म0प्र0 भूमि विकास नियम-2012 के नियम-88-के प्रावधान अनुसार भवन का निर्माण भूकम्परोधी तकनीकी के अनुसार किया जावेगा। इन प्रक्रियाओं का पालन करना आवेदक का दायित्व होगा जो कि सक्षम प्राधिकारी की निगरानी में सुनिश्चित किया जायेगा।
16. भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना 14.09.2006 तक यथा संशोधित अधिसूचना 01.09.2009 की अनुसूची की कंडिका 08(क) के अनुसार 20000 वर्गमीटर या अधिक किन्तु 1500000 वर्गमीटर या उससे अधिक निर्मित क्षेत्र के नगरीय और क्षेत्र विकास में पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति लिया जाना अनिवार्य है। म0प्र0 शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-5-23/2003/32 भोपाल दिनांक 14 अक्टूबर 2005 में उल्लेख अनुसार भारत सरकार पर्यावरण एवं मंत्रालय नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक एसओ 801(ई) दिनांक 7 जुलाई 2004 के परिपेक्ष्य में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तायरे में आती है। तो ईकाई प्रबंधन को/संबंधित आवेदक संस्था को नियमानुसार ई.पी.ए. एक्ट/ई.आई.ए. के तहत सक्षम प्राधिकारी यथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार अथवा स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी लेवल इनवायरमेन्ट इम्पेक्ट असेसमेन्ट अथॉरटी (एसईआईए) से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही परियोजना से जुड़े निर्माण कार्य को प्रारंभ करना आवश्यक व अनिवार्य होगा। योजना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक इनवायरमेन्ट इम्पेक्ट असेसमेन्ट की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा भवन अनुज्ञा के पूर्व म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से जल एवं वायु सम्मति आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे तथा निर्माण के पूर्व ई.आई.ए. क्लियरेंस लेना भी अनिवार्य होगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम संबंधी समस्त प्रावधानों का पूर्ण पालन करना आवश्यक होगा। म0प्र0 शासन के आदेशानुसार कालोनी में पर्याप्त वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
17. जल-मल निकासी, वर्षा के जल की निकासी तथा जल-मल संवहन की व्यवस्था एवं पानी की पाईप लाईन, टंकी आदि का निर्माण लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग/नगर पालिका निगम, जबलपुर के निर्देशन में निर्धारित मानकों व मानदण्डों के अनुसार उनकी देख-रेख में की जावेगी तथा नगर निगम के मुख्य ड्रेन से जोड़ा जावेगा। एस.टी.पी. का निर्माण आवेदक संस्था द्वारा स्वयं के व्यय पर स्वयं की भूमि पर स्थापित करना अनिवार्य होगा।

Signature valid

Digitally signed by NEERAJ ANAN LIKHAR

Date: 2019.03.07 15:45:39 IST

18. आपके द्वारा प्रस्तुत पटवारी खसरा ट्रेस मानचित्र में किसी प्रकार की भिन्नता होने पर या प्रस्तुत अभिन्यास मानचित्र में विरोधाभास या विसंगती पाये जाने पर उसकी जिम्मेदारी स्वयं की एवं अपने वास्तुविद/इंजीनियर दोनों की बराबर की होगी, तथा सिद्ध पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
19. अनुमोदित अभिन्यास मानचित्र की एक सत्यापित प्रति मय आदेश के स्थल पर विकास कार्य के दौरान रखना आवश्यक होगा।
20. म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम-1973 की धारा-33 के प्रावधानों के अनुरूप यह अनुज्ञा 03 (तीन वर्ष) की कालावधि के लिए प्रवृत्त रहेगी।
21. स्थल पर अनुमोदित अभिन्यास मानचित्र संबंधी जानकारी 5 x 4 फुट साईज के बोर्ड पर अंकित करना अनिवार्य होगा।
22. इस अभिन्यास मानचित्र को भू-स्वामित्व का दस्तावेज नहीं समझा जावे एवं यह अनुमति अहस्तांतरणीय होगी तथा उक्त स्थल मानचित्र को भू-स्वामित्व के रूप में किसी न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना मान्य नहीं माना जावेगा। तथा इस अनुमति का उपयोग किसी प्रकार के ऋण प्राप्त करने हेतु तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि आवेदित भूमि का व्यवर्तन व कालोनाईजर नियम-1998 के अंतर्गत अनुमतियां प्राप्त नहीं कर लेता।
23. संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश म0प्र0 भोपाल के आदेश क्रमांक 1754 दिनांक 03.04.2012 के अनुसार म0प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता-2004 (म0प्र0 इलेक्ट्रीसिटी सप्लाई कोड-2004) अनुसार आवासीय कालोनियों/बहुउपभोक्ता परिसरों के लिए अनुमानित विद्युत प्रभार की गणना कर आवश्यक क्षेत्र आवेदकों को बिना शर्त के संबंधित विभाग को सौंपे तथा विभाग द्वारा विद्युत प्रदाय प्रणाली जहां तक संभव हो, पर्याप्त स्थान पर उचित क्षमता का सब स्टेशन/ट्रांसफार्मर स्थापित कर सूचना अनिवार्य रूप से इस कार्यालय को दी जावेगी।
24. आवेदक को नगर पालिक निगम जिला जबलपुर एवं अन्य विभागों से प्राप्त समस्त अनुज्ञाओं (विकास एवं भवन) की एक प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा तथा अनुज्ञा प्रपत्रों में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन सुनिश्चित करेंगे।
25. प्रस्तावित भूखण्डीय विकास हेतु अनुमोदित अभिन्यास मानचित्र अनुसार नियमों के अंतर्गत विकास अनुमति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करने के पश्चात् विषयांकित भूमि पर विकास कार्य प्रारंभ करने के पूर्व आवेदक द्वारा प्रस्तुत भूमि का सीमांकन जो कि विधिवत रूप से राजस्व विभाग द्वारा किया गया है, तदनुसार सीमांकन के अनुरूप स्थल की सीमा में विकास अनुमति से पूर्व कोई भिन्नता उत्पन्न होती है तो इस कार्यालय को अवगत कराया जाना सक्षम प्राधिकारी एवं आवेदक दोनों का दायित्व होगा तथा अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत पुनः सीमांकित स्थल मानचित्र इस कार्यालय से स्वीकृत करना होगा।
26. अनुमोदित स्थल मानचित्र में विपरीत किये गये विकास कार्य, गलत या असत्य जानकारी, आवेदक द्वारा प्रस्तुत कोई भी कथन जो शपथ पत्र अनुसार असत्य पाये जाने या भू-सीमा विवाद उत्पन्न होने की दशा में, किसी भी सक्षम न्यायालय में विषयांकित भूमि से स्वामित्व से संबंधित कोई प्रकरण प्रचलन में होने व उसकी या विरोध भी प्रकार की जानकारी इस कार्यालय से छिपाये जाने पर तथा पत्र में उल्लेखित किसी भी शर्त का उल्लंघन होने सिद्ध पाये जाने पर अनुज्ञा म0प्र0 भूमि विकास नियम-2012 के नियम-25 के प्रावधानों के तहत प्रतिरक्षित (रिद्धोक) कर दी जावेगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की मानी जावेगी।

संलग्न:- एक मानचित्र।



(नीरज आनंद लिखार)

संयुक्त संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

जबलपुर, म0प्र0

Signature valid

Digitally signed by NEERAJ ANAN LIKHAR

Date: 2019.03.07 15:45:39 IST

344/397

पृ० क्रमांक...../नगानि/18/JBLLP5067

दिनांक 15/02/2019

1. आयुक्त नगर पालिक निगम जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं लेख है कि म०प्र० नगर पालिका अधिनियम-1956 के निर्दिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही एवं उपरोक्त वर्णित शतों का आवेदक से पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु प्रेषित।
 2. अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
 3. क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विजयनगर जबलपुर।
 4. नजूल अधिकारी जबलपुर।
 5. तहसीलदार जिला जबलपुर की ओर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
- संलग्न:- एक मानचित्र।



(नीरज आनंद लिखार)

संयुक्त संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

जबलपुर, म०प्र०

Signature valid

Digitally signed by NEERAJ ANAN
LIKHAR

Date: 2019.03.07 15:45:39 IST